राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(381)एम.ई./ग्रुप–1/2017 जयपुर, दिनांक : 6 APR 2018

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(276)एम.ई./ग्रुप–1/2017 दिनांक 05.12.2017 के द्वारा डॉ0 अचिन यादव (मेरिट क्रमांक 05/सामान्य महिला.,जन्म तिथि 10.05.1980) को सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 अचिन यादव को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

डॉ0 अचिन यादव द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(381)एम.ई./ग्रुप–1/2017 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा डॉ0 यादव के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 30.01.2018 तक की अभिवृद्धि की गयी। डॉ0 यादव द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नही किया जाकर कार्यभार ग्रहण काल में पुनः अभिवृद्धि का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम मे विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(381)एम.ई./ग्रुप–1/2017 दिनांक 07.02.2018 के द्वारा डॉ0 यादव के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 28.02.2018 तक की अभिवृद्धि की गयी। डॉ0 यादव द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नही किया जाकर कार्यभार ग्रहण काल में पुनः अभिवृद्धि का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(381)एम.ई./ग्रुप–1/2017 दिनांक 21.03.2018 द्वारा इनको पत्र प्राप्ति के 07 दिवस में कार्यग्रहण करने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस में यह भी अंकित किया गया कि निर्धारित समयावधि में पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करे अन्यथा आपकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज अजमेर के पत्रांक 13560/संस्थापन–1/एमसीए/2018 दिनांक 04.04.2018 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ0 अचिन यादव ने दिनांक 04.04.2018 तक सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 अचिन यादव नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने की इच्छुक नहीं है। अतः डॉ0 यादव के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(276)एम.ई./ग्रुप–1/2017 दिनांक 05.12.2017 के द्वारा उनका सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(28)भर्ती/गोपनीय/2014–15/296 दिनांक 07.09.2017 एवं एफ. 7(28)भर्ती 'ख'/2014–15/468 दिनांक 10.10.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर को उनके पत्रांक 13560 दिनांक 04.04.2018 के संदर्भ में।
4. डा0 अचनि यादव पत्नी श्री सौरभ कालिया, 3/25 मालवीय नगर, जयपुर(राज.)–302017(**रजिस्टर्ड डाक से**)।
5. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(सुरेन्द्र सिंह)
अनुभागाधिकारी